DNO 231-53
1/6/20

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।
(कुलसचिव कार्यालय)

कार्यवाही विवरण विद्या परिषद की 60वीं बैठक दिनांक 27 मई 2020

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा की विद्या परिषद की 60वीं दिनांक 27 मई 2020 को पूर्वाह्न 11.30 बजे ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

01. प्रो0 आर0एल0 गोदारा कुलपति, वमखुविवि,कोटा।
02. प्रो0बी0बी0 खन्ना, प्रबंध विद्यापीठ, इंदिरा गांधी रा0 मु0 विश्वविद्यालय,नई दिल्ली।
03. प्रो0 पी0के0 शर्मा,वमखुविवि,कोटा।
04. प्रो0 एच0बी0 नंदवाना, वमखुविवि,कोटा।
05. प्रो0 बी0 अरूण कुमार, वमखुविवि,कोटा।
06. डा0 सुबोध कुमार, सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
07. डा0 अनिल कुमार जैन, सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
08. डॉ0 पतंजलि मिश्रा, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।
09. डॉ0 कपिल गौतम, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
10. डॉ0 श्रीमती क्षमता चौधरी, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।
11. डॉ0 अनुरोध गोधा, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा ।
12. डा0 अकबर अली, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा ।
13. डॉ0 (श्रीमती) अनुराधा दुबे, सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।
14. डा0 कीर्ती सिंह सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
15. डा0 आलोक चौहान, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
16. डा0 संदीप हुड्डा, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
17. डा0 सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
18. श्री रवि गुप्ता, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
19. श्री सुशील राजपुरोहित, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
20. श्री नीरज अरोड़ा, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
21. डा0 जितेन्द्र कुमार शर्मा, निदेशक, क्षे0के0 वमखुविवि,जोधपुर।
22. डॉ0 दिलिप कुमार शर्मा, निदेशक क्षे0के0,वमखुविवि,कोटा।
23. डा0 एम0ए0 खान, परीक्षा नियंत्रक, वमखुविवि,कोटा।

सर्वप्रथम कुलसचिव ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय द्वारा गत बैठक के बाद कार्यकाल पूर्ण कर चुके सदस्यगणों (डा0 श्रीमती रश्मि बोहरा, डा0नित्यानंद शर्मा,डा0डी0पी0 जारोली, प्रो0 अनिल शुक्ला एवं डा0 राजेश शर्मा) द्वारा दिए गए सहयोग हेतु सदन की ओर से धन्यवाद ज्ञाप्ति करते हुए नवनियुक्त सदस्यगणों (डॉ0जे0के0 शर्मा, डा0दिलिप कुमार शर्मा, डा0 पतंजलि मिश्रा एवं डा0 श्रीमती कीर्ती सिंह) का स्वागत किया और

फिर कार्यसूची विवरण के अनुसार बिंदुवार चर्चा प्रारंभ करवाने के निर्देश सदन के सदस्य सचिव को प्रदान किए। कार्यसूची विवरण पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

60/01 विद्या परिषद की 59वीं बैठक दिनांक 05 अक्टूबर 2019 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

कार्यवाही विवरण पर प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने के उपरांत, प्रस्तुत टिप्पणी को, विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति हेतु चयन अधिनियम 1974 के अनुकूल नहीं होने के कारण, निरस्त मानते हुए कार्यसूची विवरण के संलग्न कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया ।

60/02 विद्या परिषद की 59वीं बैठक दिनांक 05 अक्टूबर 2019 के निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकन एवं पुष्टि हेतु।

विद्या परिषद की 59वीं बैठक के निर्णयों के क्रम में प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर पुष्टि की गई।

60/03 विद्या परिषद की सदस्यता हेतु तीन शिक्षाविद्वों के मनोनयन का प्रस्ताव।

सदन द्वारा तीन शिक्षाविद्वों के मनोनयन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

60/04 इंदिरा गांधी रा0 मु0 विश्वविद्यालय की भांती छात्रों को पाठ्य सामग्री हार्ड कोपी के स्थान पर सोफ्ट कापी लेने का विकल्प चुनने पर शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव।

प्रो0 एच0बी0 नंदवाना ने सदन को बताया कि पाठ्य सामग्री की सोफ्ट कापी लेने का विकल्प चुनने पर छात्रों को शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट देने की इंदिरा गांधी रा0 मु0 विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा भी अपनाते हुए छूट दिया जाना प्रस्तावित है। प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने प्रस्तावित छूट संपूर्ण कार्यक्रम शुल्क पर 15 प्रतिशत दिया जाने का प्रस्ताव रखा , ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस योजना के प्रति आकर्षित हो। प्रो0 पी0के0 शर्मा ने अपना मत रखते हुए कहा कि यह छूट कार्यक्रम की कुल शुल्क पर नहीं अपितु SLM शुल्क पर दी जानी चाहिए। इसके उपरांत अन्य सदस्यगणों द्वारा भी चर्चा में भाग लेते हुए मत व्यक्त किया गया। इसके उपरांत प्रस्ताव को सैद्वान्तिक सहमति प्रदान करते हुए निर्णय किया गया कि इंदिरा गांधी रा0 मु0 विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाए और तत्पश्चात् उचित निर्णय लिया जाए। सदन ने छूट प्रदान करने का निर्णय आगामी सत्र से लागू करने पर सहमति व्यक्त की।

60/05 कला स्नातक में Anthropology एच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित करने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव का सैद्वान्तिक अनुमोदन करते हुए मत व्यक्त किया गया कि कला स्नातक में Anthropology को एच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित करने से पूर्व इस हेतु आवश्यक संस्थागत ढांचे (संकाय सदस्य एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था) को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

60/06 स्नातक कार्यक्रम में प्राकृत भाषा चलाए जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्यगणों का विचार था कि प्राकृत भाषा में पूर्व में जो कार्यक्रम संचालित है उनमें ही विद्यार्थियों का रूझान बहुत कम है। इसे ध्यान में रखते हुए स्नातक कार्यक्रम में प्रस्तावित विषय को एच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित करने का कौई औचित्य नहीं है। इसके उपरांत कार्यक्रम संयोजक डा0 कपिल गौतम द्वारा सदन को बताया गया कि यह सही है कि विद्यार्थियों का रूझान इस विषय में अधिक नहीं है किंतु इससे हमारी लुप्त होती हुई भाषा को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास के रूप में इस विषय को संचालित किया जाना प्रस्तावित किया गया है, तदुपरांत सदस्य स्नातक कार्यक्रम में प्राकृत भाषा चलाए जाने के प्रस्ताव को सैद्वान्तिक अनुमोदन करते हुए मत व्यक्त किया कि एच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित करने से पूर्व इस हेतु आवश्यक संस्थागत ढांचे एवं वित्तिय दृष्टि से परीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की जाए जिसकी अनुशंसा के बाद ही इसे लागू किया जाए।

60/07 CBCS लागू करने के सम्बन्ध में व्यापक चर्चा का प्रस्ताव।

CBCS लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान निदेशक संकाय द्वारा सदन को बताया गया कि इंदिरा गांधी रा0मु0 विश्वविद्यालय एवं बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद में लागू की गई व्यवस्था का अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय की टीम को वहां भेजा जाना था, किंतु कोविड–19 संक्रमण के कारण यह संभव नहीं हो पाया है एवं निकट भविष्य में भी इसकी संभावना मुश्किल लगती है। किंतु विशविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्यपाल सचिवालय द्वारा भी इसे लागू करने के लिए निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त जानकारी के बाद सदन द्वारा CBCS को सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सुझाव दिया कि संचार के अन्य साधनों का सहारा लेकर इग्नु एवं बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए विश्वविद्यालय में भी इसे शीघ्र लागू कर दिया जाए।

60/08 राज्य सरकार के निर्देशानुसार आनंदम् कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव।

आनंदम कार्यक्रम के सम्बन्ध में निदेशक, संकाय द्वारा सदन को जानकारी दिए जाने के उपरांत डा0 अनिल जैन द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि यह कार्यक्रम मूलतः महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में नियमित अध्ययन करने वाले छात्रों पर ही लागू

किया जाना संभव है क्यों कि इसमें छात्रों को प्रतिदिन एक गतिविधि पूर्ण कर मेंटर से चैक करवाना आवश्यक है। परन्तु दूरस्थ शिक्षा पद्वति में छात्रों की नियमित उपस्थिति की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां लागू करने में व्यवहारिक कठिनाईयां रहेंगी। इसके उपरांत सदन द्वारा निर्णय किया गया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन उपरांत आवश्यक प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

60/09 पी.एच.डी. एवं एम.फिल. की वायवा परीक्षा आनलाइन आयोजित किए जाने की अनुमति का प्रस्ताव।

पी.एच.डी. एवं एम.फिल. की मौखिक (वायवा) परीक्षा आनलाइन आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा उपरांत निर्देशित किया गया कि पी.एच.डी0. एवं एम.फिल की मौखिक (वायवा) परीक्षा आनलाइन आयोजित करवा ली जाए किंतु इनके आयोजन हेतु पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए इसकी रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जाए ।

इसके बाद निदेशक शोध द्वारा सिनोप्सिस प्रजेंटेंशन एवं प्री–सबमिशन सेमिनार भी असाधारण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में आनलाइॅन आयोजित करने का विचार सदन में प्रस्तुत किया गया, जिस पर सदन द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए मत व्यक्त किया गया कि पारदर्शिता के लिए रिकार्डिंग सुरक्षित रखते हुए केवल असाधरण एवं अपरिहार्य परिस्थिति में माननीय कुलपति महोदय की पूर्व स्वीकृति के बाद सिनोप्सिस प्रजेंटेंशन एवं प्री–सबमिशन सेमिनार का आनलाइन आयोजन किया जाए।

60/10 अर्थशास्त्र (स्नातक) हेतु दिनांक 19 फरवरी 2020 को आयोजित पाठ्यक्रम संशोधन समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रो0 पी0के0 शर्मा द्वारा इसमें CBCS प्रणाली लागू करने की व्यवस्था के बारे में जानकारी चाही गई। इस सम्बन्ध में डा0 सुरेन्द्र कुलश्रेष्ठ, संयोजक अर्थशास्त्र ने सदन को बताया कि CBCS प्रणाली स्नातक के संपूर्ण कार्यक्रम पर लागू होती है ना कि किसी विषय विशेष पर। इसके उपरांत सदन द्वारा अर्थशास्त्र (स्नातक) हेतु दिनांक 19 फरवरी 2020 को आयोजित पाठ्यक्रम संशोधन समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

60/11 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वंय पोर्टल के माध्यम से आन लाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रडिट ढांचा विनियम 2016 एवं प्रथम संशोधन को लागू करना।

प्रो0 एच0बी0 नंदवाना द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदन को अवगत करवाए जाने के उपरांत दिनांक 19 जुलाई 2016 को भारत सरकार के राजपत्र (असाधरण भाग–3, खंड4) में उल्लेखित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (''स्वंय'' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढांचा विनियम 2016 एवं इसके उपरांत दिनांक 08 मई 2017 में हुए प्रथम संशोधन) (अनुलग्नक संलग्न) को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में लागू करने के प्रस्ताव को सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई।

60/12 शिक्षा विद्यापीठ की ओर से विश्वविद्यालय में पदस्थापित अन्य विषय के संकाय सदस्यों को शिक्षा विद्यापीठ से सम्बन्धित गतिविधियों में आवश्यकतानुसार उपयोग करने के सम्बन्ध में जारी आदेश संख्या 1315 दिनांक 21.01.20 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

शिक्षा विद्यापीठ द्वारा जारी आदेश के संदर्भ में डा0 अनिल जैन द्वारा सदन को जानकारी से अवगत करवाया जाने के बाद सदन द्वारा जारी किए गए आदेश संख्या 1315 दिनांक 21.01.20 का अनुमोदन किया गया।

60/13 एम0 कॉम (ई.ए.एफ.एम.) कार्यक्रम की कोर्स डवलपमेंट कमेटी की आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण व CIQA के अधीन आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण तथा प्रोग्राम प्रोजेक्ट रिपोर्ट(PPR) अनुमोदनार्थ।

डा0 अनुरोध गोधा द्वारा सदन को प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान किए जाने के बाद सदन द्वारा एम0 कॉम (ई.ए.एफ.एम.) कार्यक्रम की कोर्स डवलपमेंट कमेटी की बैठक के कार्यवाही विवरण व CIQA के अधीन आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण तथा प्रोग्राम प्रोजेक्ट रिपोर्ट (PPR) को अनुमोदित किया गया।

60/14 (1) संत्रात परीक्षा जून 2020 **एवं आगामी परीक्षाओं** में स्नातक स्तर के अनिवार्य प्रश्न पत्रों को बहुविकल्पीय ओ.एम.आर. शीट पर आधारित करने बाबत् प्रस्ताव एवं इस सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन।

परीक्षा नियंत्रक द्वारा सदन को जानकारी दी गई कि प्रस्तावित व्यवस्था से विश्वविद्यालय को परीक्षा परिणाम शीघ्रता से घोषित करने में सुविधा रहेगी एवं मितव्ययता की दृष्टि से भी प्रस्ताव को विश्वविद्यालय के हित में बताया गया। डा0 अनिल कुमार जैन द्वारा यह जानकारी चाही गई कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भांती अनिवार्य प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी भी जारी की जाएगी अथवा नहीं। इस जानकारी के क्रम में सदन द्वारा व्यवस्था दी गई कि उत्तर कुंजी जारी करने की व्यवस्था प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही मान्य है ना कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए। अन्य विश्वविद्यालयों में भी जंहा इस पद्वति को लागू किया जा रहा है वहां भी उत्तर कुंजी जारी करने की व्यवस्था नहीं है। परंतु अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आर0टी0आई0 अधिनियम के अनुसार छात्र को उसकी उत्तर पुस्तिका की प्रति दिए जाने की व्यवस्था पूर्व की भांती ही जारी रहेगी। सदन द्वारा उक्त जानकारी के बाद जून 2020 एवं आगामी परीक्षाओं में स्नातक स्तर के अनिवार्य प्रश्न पत्रों को बहुविकल्पीय ओ.एम.आर. शीट पर आधारित करने के प्रस्ताव एवं कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा आनलाइन परीक्षा आयोजन करवाने हेतु विद्या परिषद की सैद्वान्तिक सहमति का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय कुलपति महोदय द्वारा कहा गया कि परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता एवं सोशियल डिस्टेंसिंग का ध्यान आवश्यक रूप से रखा जाना चाहिए और साथ ही इस हेतु यदि अधिक परीक्षा केन्द्रों की आवश्यकता हो तो अन्य विश्वविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों के साथ साथ निजी महाविद्यालयों/ सरकारी विद्यालयों से सहयोग प्राप्त किया जाए। आवश्यकतानुसार और यथासंभव दूरस्थ क्षेत्रों में भी परीक्षा केन्द्र बनाए जाए। सदन द्वारा माननीय कुलपति महोदय के विचार से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव को सैद्वान्तिक स्वीकृति दी गयी।

60/15(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुरूप लर्निंग सपोर्ट सेंटर (LSC) बनाए जाने हेतु नीति तैयार करने बाबत् समिति गठन का संलग्न प्रस्ताव एवं साथ ही 08 लर्निंग सपोर्ट सेंटर खोलने की सैद्वान्तिक सहमति का प्रस्ताव।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को विस्तृत जानकारी से अवगत करवाते हुए बताया गया कि यू0जी0सी0 नियमों के तहत दूरस्थ शिक्षा पद्वति पर आधारित विश्वविद्यालयों को भविष्य में LSC स्थापित करने हेतु विशेष निर्देशों की अनुपालना करनी होगी, जिसमें LSC स्थापित करने के नियम बनाने और चिन्हित LSC को विश्वविद्यालय के वैद्यानिक निकायों से अनुमोदित करवाने की व्यवस्था प्रमुख हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विद्या परिषद में आठ नए LSC स्थापित करने की सैद्वान्तिक स्वीकृति हेतु रखा जा रहा है जिनमें से कुछ संस्थाऐं निकट भविष्य में आयोजित प्रायोगिक परीक्षाओं और कैम्प के लिए DEB (UGC) के नए नियमानुसार अहम हैं। शेष संस्थाओं के आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त हुए है जिन्हें भी LSC के रूप में स्थापित करना उचित प्रतीत होता है। फिलहाल सैद्वान्तिक रूप से आठ लर्निंग सपोर्ट सेंटर (LSC) बनाए जाने प्रस्तावित किए जा रहे है एवं गाइडलाइन निर्धारित करने के लिए समिति प्रस्तावित है। गाइड लाईन तैयार होने के बाद उक्त आठ लर्निंग सपोर्ट सेंटर (LSC) से भी इन गाइड लाइन की पूर्ति आवश्यक रूप से करवाई जाएगी एवं इनके कार्य प्रर्दशन के आधार पर इन्हें स्थाई करने अथवा बंद करने बाबत् निर्णय किया जाएगा।

उक्त जानकारी के बाद सदन द्वारा प्रस्ताव में उल्लेखित समिति गठन का अनुमोदन एवं प्रस्तावित आठ लर्निंग सपोर्ट सेंटर (LSC) बनाए जाने को सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई।

60/15(2) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के आंतरिक गृह कार्य को बहुवैकल्पिक प्रश्न पद्वति आधारित व्यवस्था को लागू करने की सैद्वान्ति सहमति का प्रस्ताव।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के आंतरिक गृह कार्य को बहुवैकल्पिक प्रश्न आधारित व्यवस्था को लागू करने के सम्बन्ध में प्रो0 एच0 बी0 नंदवाना द्वारा सदन को बताया गया कि उक्त व्यवस्था अनेक दृष्टि से लाभप्रद होगी जिस पर सदस्यगणों द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई। श्री रवि गुप्ता ने बहुवैकल्पिक प्रश्न आधारित आन्तरिक गृह कार्य को ऑनलाइन करने की बात रखी। सदन ने श्री रवि गुप्ता के उक्त प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की। सदन द्वारा चर्चा उपरांत निर्णय किया गया कि प्रस्ताव पर शैक्षणिक एवं तकनीकी रूप से विस्तृत विचार कर व्यवस्था लागू करने के लिए शैक्षणिक एवं तकनीकी समिति का गठन किया जाए। इसके लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया एवं साथ ही यह भी व्यवस्था दी गई कि दोनों समितियों में किसी भी निदेशक, क्षे0केन्द्र को भी सदस्य के रूप में रखा जाए।

प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत डा0 जे0के0 शर्मा, द्वारा निदेशक क्षे0केन्द्रों को शोध पर्यवेक्षक बनाए जाने की मांग के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हुए इससे सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जोने पर खेद प्रकट किया गया। इस पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि, विद्या परिषद की इस बैठक का मूल उद्वेष्य कोविड संक्रमण के कारण परीक्षाऐं सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के सम्बन्ध में निर्णय लेना था। अतः कुछ प्रस्ताव बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए है, जिन्हें आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद की बैठक आनलाइन सम्पन्न करवाने हेतु विश्वविद्यालय की तकनीकी टीम और सभी सदस्यों को बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

उक्त कार्यवाही के बाद आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

7/6/20

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
(विद्या परिषद)

7/7